कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायालय खण्डपीठ जिला भोपाल मध्यप्रदेश के समक्ष प्रस्तुत अपील

A-3016-PBR/13

प्रकरण क्रमांक /.13

वीरेन्द्र प्रजापति पिता स्व0 ओंकार प्रजापति
आयु वयस्क
निवासी कुम्हारपुरा रोड
शाहजहानाबाद भोपाल मध्यप्रदेश — आवेदक

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन
कलेक्टर महोदय, भोपाल — अनावेदक

अपील आवेदन पत्र वास्ते मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत
अपील
निगरानी

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर महोदय, भोपाल
भोपाल संभाग

सादर निवेदन हे कि :–

1– यह कि आवेदक उपरोक्त उल्लेखित पते पर निवास करता है एवं ईट बनाने की मजदूरी का कार्य करता है।

02 यह कि आवेदक का एक अपील प्रकरण क्रमांक 628/अपील/12–13 माननीय न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 05.06.2013 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिससे दुखी होकर आवेदक उक्त प्रकरण की अपील माननीय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3016–पीबीआर/13 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2017	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह अपील अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–6–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रचलित अपील अदम पैरवी में निरस्त की है । अतः अपर आयुक्त के समक्ष ही प्रकरण के पुनःस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में यह अपील विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	